

29/1/21

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुयम  
की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार देवली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 134 ख. नं. 349 रकबा 0.28 है0 व ख. नं. 349/1117 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम हिसामपुर भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाशत नहीं है। अर्थात् प्रार्थी का सम्पूर्ण विवादित आराजी पर कब्जाकाशत नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार न होने से अर्थात् प्रार्थी का कब्जाकाशत पत्थरगढी हेतु चाहे गये ख. नं. पर नहीं होने से व जिसका कब्जाकाशत है, उसको पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

